पंचम माला, खंड 62, अंक 47 बुधवार, 26 मई, 1976/5 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXII, No. 47 Wednesday, May 26, 1976/Jyaistha 5, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 47, बुधवार, 26 मई, 1976/5 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

No. 47, Wednesday, May 26, 1976/Jyaistha 5, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	1—5
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
कार्यवाही सारांश	Minutes	5
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
(एक) कार्यवाही सरांश	(i) Minutes	5
(दो) 28वां प्रतिवेदन	(ii) Twenty-eighth Report . . .	6
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit—	
18वां प्रतिवेदन	Eighteenth Report	6
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under rule 377—	
राजनीतिक बंदियों के परिवारों को सहायता	Help to families of political detenus . .	6-7
बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक—	Banking and Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव:	Motion to Consider:	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	7-8
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	9-10
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	10-11
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha . . .	11-12
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	12-13
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	13
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik.	14
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar' . . .	14-15
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Battacharyyia	15

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . . .	16
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	16
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	16-17
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi . .	17
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	17
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha . . .	18
प्रो० शिब्बनलाल सक्सैना	Prof. Shibban Lal Saksena . . .	18
खण्ड 2 से 6 और 1—	Clauses 2 to 6 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	20-21
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali . . .	21
टैरिफ आयोग (निरसन) विधेयक—	Tariff Commission (Repeal) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में :	Motion to consider as passed by Rajya Sabha:	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya . . .	22
श्री दीनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	22—24
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	24
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K.M. 'Madhukar' . . .	24
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	24-25
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . . .	25
खण्ड 2 से 4 और 1—	Clauses 2 to 4 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass —	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya . . .	25—27
भारत में महिलाओं के स्थान संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Report of the Committee on the Status of Women in India—	
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hassan . . .	27-28
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami . .	29-30
श्रीमती गंगादेवी	Shrimati Ganga Devi	30
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	31 32
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	32

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 26 मई, 1976/5 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Wednesday, May 26, 1976/Jyaistha 5, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना, 1976–77

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : मैं "वार्षिक योजना—1976–77" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी० 10916/76] ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10917/76]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, ज्ञापन आदि

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 626 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 627 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 628 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 629 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 11 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 329(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 11 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 330(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 340 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 341 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी० 10918/76]

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 10919/76]

(3) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब के कतिपय भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन—खण्ड 2।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10920/76]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सा०सां०नि० 338(ङ) जो दिनांक 14 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 680 जो दिनांक 15 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10921/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तगत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 342 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10922/76]

रेलवे सुरक्षा आयोग का वर्ष 1974–75 के कार्य का प्रतिवेदन तथा वायु निगम नियम के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेलवे सुरक्षा आयोग के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10923/76]

(2) वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (पांच) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इण्डिया के वर्ष 1976–77 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश ।

(दो) एयर इण्डिया के वर्ष 1974–75 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1975–76 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1976–77 के बजट अनुमानों का सारांश ।

(तीन) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1976–77 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों तथा वर्ष 1975–76 के संशोधित अनुमानों का सारांश ।

(चार) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1974–75 के वास्तविक व्यय वर्ष 1975–76 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1976–77 के बजट अनुमानों का सारांश । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10924/76]

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के कार्य की समीक्षा और वर्ष 1974–75 का प्रतिवेदन तथा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिपाठी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10925/76]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1658 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (व्यापार पोत में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 646 में प्रकाशित हुए थे [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10926/76]

मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पांचवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासना, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विवरण संख्या 25	तीसरा सत्र, 1971
(दो) विवरण संख्या 22	आठवां सत्र, 1973
(तीन) विवरण संख्या 19	नौवां सत्र, 1973
(चार) विवरण संख्या 23	दसवां सत्र, 1974
(पांच) विवरण संख्या 16	ग्यारहवां सत्र, 1974
(छः) विवरण संख्या 15	बारहवां सत्र, 1974
(सात) विवरण संख्या 19	तेरहवां सत्र, 1974
(आठ) विवरण संख्या 3	पन्द्रहवां सत्र, 1976
(नो) विवरण संख्या 1	सोलहवां सत्र, 1976

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10927/76]

राजस्थान राज्य स्थित राष्ट्रीय राजपथों की सम्पर्क सड़कों के विकास आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच हुआ समझौता

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजपथों की संपर्क सड़कों के विकास और रखरखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान राज्य सरकार के बीच 6 अप्रैल, 1976 को हुए समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10928/76]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही-सराँश

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं :

(1) समिति के 89वें, 97वें, 98वें, 99वें, 101वें और 102वें प्रतिवेदनों सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(2) प्रक्रिया तथा सामान्य विषयों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

(एक) कार्यवाही-सारांश

श्री एस० एम० सिद्दैया (चामराज नगर): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 23 मार्च, 7 अप्रैल, 29 अप्रैल और 25 मई, 1976 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) 28वाँ प्रतिवेदन

श्री एस० एम० सिद्दैया : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

18वाँ प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुन्द्री): मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

राजनीतिक बन्दियों के परिवारों को वित्तीय सहायता

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : ऐसा पता चला है कि आचार्य विनोबा भावे ने प्रधान मंत्री से देश में राजनीतिक बन्दियों के परिवार को मदद देने को कहा है। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक बन्दियों के बहुत से परिवारों को जीवन यापन में बड़ी कठिनाई हो रही है। उनके बच्चों को फीस न देने के कारण पढ़ाई बन्द करनी पड़ी है तथा किराया न देने के कारण उन्हें मकानों से निकाल दिया गया है। उनका जीवन बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है। मैं इसलिए सरकार से इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : आंसुका के अन्तर्गत बन्दी किये गये व्यक्तियों के परिवारों को उचित मामलों में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा आंसुका की धारा 50 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किए गये आदेशों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्णय प्रत्येक मामले को देख कर लिया जाता है। ऐसा निर्णय करते समय बन्दी व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति तथा उसके एकमात्र कमाने वाला होने पर विचार

किया जाता है, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता हो। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मिली सूचना के अनुसार, आसाम, जम्मू और काश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बन्दियों के परिवारों को उचित निर्वाह भत्ता दिया गया है।

जहां तक इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे की प्रधान मंत्री से हुई बातचीत का सम्बन्ध है, मुझे याद है याद पड़ता है कि आचार्य विनोबा भावे ने प्रधान मंत्री से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढुका) : क्या सरकार स्वतः कार्रवाई करती है या उसके लिए आवेदन करना होता है। कुछ राज्यों का नाम नहीं लिया गया है। क्या वे राज्य ऐसा भत्ता नहीं दे रहे हैं यह स्पष्ठ किया जाए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : इस भत्ते की दर क्या है तथा क्या सब राज्यों में यह समान है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य अपने जेल मैन्युअल के अनुसार तय करता है। इस बारे में समानता नहीं हो सकती। यह राज्यों का विषय है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह बताया गया है कि अभी तक किसी ने आवेदन पत्र नहीं भेजा है। क्या हम ऐसा आवेदन करें? इस समय जिन लोगों को यह भत्ता मिलता है वह बहुत कम है। अभी तक अधिक से अधिक राशि 150 रुपये प्रति परिवार दी गई है। जो बहुत अपर्याप्त है। उन्हें नजरबन्द किया है, वे अपराधी नहीं हैं, फिर उनके परिवारों को भूखा क्यों मारा जाए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरी जानकारी के अनुसार इस समय 2,348 लोगों को भत्ता मिल रहा है।

बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक

BANKING AND PUBLIC FINANCE INSTITUTION LAWS (AMENDMENT) BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, स्टेट बैंक आफ इंडिया एक्ट, 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के निर्धारण संबंधी उपबन्धों में समानता आएगी।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। इस निगम के अध्यक्ष के नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से करती है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई थी। स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम के अन्तर्गत बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से करती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक के सहायक के बैंक रूप में 1964 में की गई थी तथा 1975 में पूर्णत: केन्द्र सरकार के स्वामित्व के अन्तर्गत इसका पुनर्गठन किया गया। इसके अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण भी केन्द्र सरकार करती है।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों का गठन 1975 में किया गया। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का निर्णय पूर्णत: केन्द्र सरकार के अधिकार में है।

इसलिए अनेकों ऐतिहासिक कारणों और समय-समय पर अंशधारियों के बदलने से इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रशासकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें निर्धारित करने की व्यवस्था समान नहीं थी। इन कार्यकर्त्ताओं को सेवा से हटाए जाने के सम्बन्ध में कुछ अधिनियमो में तो एक प्रक्रिया है जबकि अन्य अधिनियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। यह विधेयक इस सम्बन्ध में सभी अधिनियमों में समान उपबन्ध करने के लिए लाया गया है।

संविधि में निहित वर्तमान उपबन्धों के अतिरिक्त ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब सरकार इन पदाधिकारियों को उनके पद से कार्यकाल से पहले हटाया जाना आवश्यक समझे।

इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि केन्द्र सरकार को यह पूर्ण अधिकार देने का उपबन्ध किया जाए जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार को इन पदाधिकारियों को उचित नोटिस, जो तीन मास से कम न हो, देकर सेवा से निकालने का अधिकार हो। इसी प्रकार इन पदाधिकारियों को नोटिस देकर, जो तीन मास से कम का न हो सरकार को देकर नौकरी छोड़ने की छूट होनी चाहिए। इसी प्रकार की शर्तें सरकारी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों के प्रमुख प्रशासक के सम्बन्ध में शीघ्र लागू की जा रही हैं।

इस विधेयक में कुछ और साधारण संशोधन हैं जो प्रक्रिया सम्बन्धी हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह विधेयक वित्त निगम स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों का निर्धारण, सेवा से निकालने आदि के सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए लाया गया है। परन्तु एक मात्र उल्लेख योग्य उपबन्ध इस विधेयक में इन अधिकारियों से पीछा छुड़ाने को आसान बनाने का है। इसमें सेवा की शर्तों और नियुक्ति की शर्तों का कहीं उल्लेख नहीं है।

केन्द्र सरकार के नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त करने पर हमारा कोई एतराज नहीं। परामर्श, विचार, सिफारिश आदि की आड़ लेने के बाद भी सबके पीछे केन्द्र का हाथ रखने के बजाय केन्द्र सरकार का खुले रूप में सब कुछ अपने हाथ में रखना कहीं बेहतर है। लेकिन विचार करने का विषय यह है कि सेवा समाप्त करने हेतु यह नया खण्ड क्यों जोड़ा जा रहा है। इस खण्ड में रिजर्व बैंक से सलाह करने का कोई उपबन्ध नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक इस मामले से अलग क्यों रखा जा रहा है और वर्तमान पदाधिकारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

हम चाहते हैं कि इन पदों पर अच्छे स्तर वाले और योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जायें। यदि सरकार यह चाहती है कि इन अनियंत्रित और असीमित शक्तियों से इन व्यक्तियों को गैर-सरकारी संस्थान के सामान्य कर्मचारी की भांति तीन महीने का नोटिस देकर इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है तो इससे उन लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं होगा जो इन संस्थानों के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते है।

हम जानते हैं सरकारी कर्मचारी अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किये जा सकते है। लेकिन सरकार को कम से कम एक परीक्षा से सन्तुष्ट होना ही होगा अर्थात् सेवानिवृत्त जनहित में ही की जानी होगी। सरकार को कम से कम पूर्व-दृष्टिय मामला बनाना होगा कि सरकारी कर्मचारी योग्य नहीं पाया गया और जनहित को देखते हुए उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अत: इससे भावी पदाधिकारियों के मन में विश्वास की भावना पैदा नहीं होगी।

विभिन्न बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे संस्थानों के अधिकारियों तथा क्षेत्रीय बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों की नियुक्ति करने के मामले में एक समुचित रोजगार नीति बनायी जानी चाहिए और उसे कार्यान्वित की जानी चाहिए। ऐसे मामले हैं जिन पर अविवेकता पूर्वक विचार नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जहां तक अन्य अधिकारियों का सम्बन्ध है इनके बारे में उचित और समेकित रोजगार नीति, भर्ती-नीति, नियुक्ति नीति तथा सेवा की शर्तों सम्बन्धी नीति होनी चाहिए। केवल तदर्थ रूप में स्थिति को काबू में करने के उद्देश्य से इधर-उधर से अधिकार प्राप्त करने से यह समस्या हल नहीं होगी।

जहां तक वर्तमान पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, सरकार इन अधिकारियों पर भी इसे लागू करना चाहती है, क्योंकि वह भी कुछ सांविधिक विशोषाधिकार या नियत सेवा काल का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए इनकी सेवाएं समाप्त करने से क्या परिणाम निकलेंगे ?

क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में विधि मंत्रालय की राय ली है ?

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति की नीति तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में की गई कार्रवाई के बारे में हमें जानकारी दें । नियुक्ति तथा सेवा से अलग किये जाने के मामलों में रिजर्व बैंक का क्या कार्य होगा ?

श्री के० सूर्यनारायण : (एलुरु): यह विधेयक चार संस्थाओं के अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों, तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने सम्बन्धी प्रक्रिया एक समान बनाने हेतु लाया गया है । इस विधेयक में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

ऋण देने की प्रक्रिया एक समान नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई सामान्य नीति भी नहीं है प्रत्येक संस्थान ने अपनी नीति बना रखी है । इन सभी संस्थाओं में एक समान नीति होनी चाहिए ।

वर्तमान नीति के अनुसार $2\frac{1}{2}$ करोड़ से अधिक रुपये की लागत वाली सहकारी चीनी फैक्ट्रियों ही में सुविधाएं मिल रही है । कम लागत वाली फैक्ट्रियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इसकी जांच की जानी चाहिए और इस त्रुटि में सुधार किया जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र में 9 सहकारी चीनी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें इस नीति से लाभ नहीं हुआ है क्योंकि इन फैक्ट्रियों में कम लागत की मशीनें लगी हैं । उद्योग मंत्री तथा कृषि मंत्री इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गये थे । लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ।

यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया जाये जिसके लिए वह दिया गया था ।

मैं सरकार का ध्यान उन नौ सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्हें रुग्ण घोषित किया जा रहा है । सरकार को इन चीनी फैक्ट्रियों के बारे में कोई निर्णय करना चाहिए जिनकी निर्माण लागत 3 करोड़ रुपये से कम है । सरकार को इन फैक्ट्रियों को कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए ताकि ये संकटग्रस्त सहकारी चीनी फैक्ट्रियां फिर से चालू हो जायें ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In this Bill the Government is taking the power to remove the top executives of the Industrial Finance corporation, the Industrial Development Bank of India, the State Bank of India and the Regional Rural Bank of India. A provision has been made that before finally deciding to remove any one of them the Government would give the person concerned an opportunity to explain his position. It is not known why this being done when no such procedure is followed in the case of other employees. This kind of double policy should not be followed.

So far as the appointment of these top executives is concerned have any qualifications been laid down ? People have serious doubts in this regard. Therefore the Government should come out with a statement of policy . It is very necessary that only those persons who have sufficient experience of banking are taken in . But this is not being followed.

We have seen that the behaviours of the Officers of these institutions with the employees is not good. The old bureaucratic attitude prevailed every where. When the employees resent this kind of attitude they are penalised. He had written to the Government about the bad behaviours of some officers posted in Patna and Muzaffarpur. Still no action had been taken against them. It is high time attention is paid to these things.

It is necessary that policy of giving loans to the capitalists and profiteers is replaced by a policy of giving loans to the small farmers, artisans, weavers and other weaker sections in the rural areas.

It is unfortunate that employees of the Reserve Bank at Patna are being harrased because they support the 20 point programme of the Prime Minister. The whole of the country is supporting 20 point and 4 Point programme. The employees of the Muzaffarpur branch of Central Bank and State Bank of India branch at Patna are not being treated well by their bosses.

These officers should be instructed not to harass their sub-ordinates and run the administration of important financial institutions with their co-operation.

The loan policy should be simplified with a view to fulfil the 20 point programme. The villagers are not getting loans from the Banks. They are in need of financial assistance. I request that special attention should be paid towards their economic development. The corruption has increased during the course of implementing 20 point programme which means that you have not achieved your objective. It is unfortunate that corruption is also infiltrating into Bank Industry.

I would like to know the amount of loan given to mohopalists and industrialists and also to the really needy sections of the society.

श्री नवल किशोर सिंह : (मुजफ्फरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने और सेवा की शर्तें निर्धारित करने के बारे में कुछ अधिकार लेना चाहती है और इन सभी मामलों में समानता लाना चाहती है। सरकार की ऐसे अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन खेद है कि इन मामलों में भारी असमानता है और साधारण-सी बातों को निपटाने में भी बहुत समय और शक्ति नष्ट हो जाती है। ये बैंक लोक वित्तीय संस्थान हैं और उन्हें मानक नियम के अनुरूप चलना चाहिए तथा उन्हें सरकार द्वारा बनाई गयी नीति का पालन करना चाहिए।

जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उनके पुनर्गठन के बारे प्रश्न उठाया गया है और प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए ताकि वह लोगों की सहायता कर सकें और स्पर्धा में न पड़ें। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से जमा राशि प्राप्त कर रहे हैं लेकिन क्या मंत्री महोदय को यह विश्वास है कि इस उपाय से यह धन वापस गांवों में ही लगाया जा रहा है? यह बात भी नहीं है कि ये वित्तीय संस्थान कोई कार्य नही कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कार्य किया है लेकिन यह कार्य उस समय राशि के समान है जो ये ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रूप से धन लगाया जाये तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जायेगी।

इस विधेयक में उपबन्ध है कि किसी अधिकारी को स्वास्थ्य तथा अन्य कारणों पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। यह पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वह किसी अधिकारी को उसके ठीक कार्य न करने पर सेवा से निकाल सकते हैं? अथवा क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति उस अधिकारी के सेवा से निकाले जाने का आधार बनेगी?

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में रवैया ठीक नही है। बिहार में जासिदिह में मोटर गाड़ियों के टायर बनाने की परियोजना है। यह आदिवासी क्षेत्र है और सरकार का वहां एक फैक्टरी लगाने का विचार है। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वहां फैक्टरी को वित्तीय सहायता देने के मामले में बिहार सरकार के साथ सहयोग करना उचित नही समझा है।

केन्द्रीय सरकार के विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों द्वारा यथासम्भव अधिक एकक स्थापित किए जाने का अभियान चलाया है । प्रगति बहुत धीमी हुई है । राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकरों के रवैथे में आमूल परिवर्तन करने का उनसे अनुरोध किया है तथा कम से कम समय में बैंकों की शाखाओं को खंड मुख्यालयों में खोलने का अनुरोध किया है तथा बैंकों को इस बात के लिये राजी करने का प्रयास किया है कि वे अपने शाखा कार्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक अंतर पर स्थित एककों को वित्तीय सहायता न देने सम्बन्धी अपने स्वनिर्मित प्रतिबन्ध को हटा दें ।

जहां तक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का राशि निवेश का सम्बन्ध है उनके राष्ट्रीय कुल निवेश की तुलना में बहुत कम अंश है । जब तक भारत सरकार बिहार जसे पिछड़े राज्यों में राशि निवेश के लिए उचित कोटा निर्धारित नहीं करेगी, राशि निवेश की दर इसी तरह से बहुत कम रहेगी ।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कम राशि निवेश करने का एक यह कारण भी है कि इन संस्थानों के प्रादेशिक कार्यालय अनेक पिछड़े राज्यों से दूर हैं जो अधिकांशत: महानगरों में ही स्थित है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य बैंकों के प्रादेशिक कार्यालय बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए क्योंकि इनके बिना प्रगति नहीं होगी ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यदि सरकार की नीति समाज के पिछड़े वर्गों, छोटे किसानों, व्यापारियों तथा कारीगरों को वित्तीय सहायता देने की है तो ऋण देने के मामले में इन लोगों के साथ नरमी बरती जानी चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने में कुछ कठिनाइयां सामने आती है । यदि कुछ रियायतें नही दी जायेंगी तो इन लोगों की सहायता करना कठिन हो जायेगा ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ऋण देने सम्बन्धी नीतियां बड़ी कठोर हैं । प्रार्थना पत्र की जांच करने और ऋण देने में बड़ा समय लगता है । इस बीच परियोजना की लागत बढ़ जाती है । इसलिये प्रार्थना पत्र की जांच करने और ऋण देने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए ।

गत कुछ वर्षों के दौरान बहुत ही कम उद्योग स्थापित हुए हैं । इसका कारण इन वित्त संस्थाओं से आसानी से ऋण का न मिलना है । अत: नये उद्योगों का वित्त पोषण करने और प्रार्थना पत्रों की जांच करने की नीति को उदार बनाया जाए ।

अगर हम पिछड़े क्षेत्रो में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं और युवा तकनीशियनों और छोटे उद्यमियो की मदद करना चाहते हैं तो वित्त संस्थाओं की नीतियों में अत्याधिक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है । वह नीति छोटे उद्यमियों और तकनीशियिनों के प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप होनी चाहिए ।

इस संस्था को चलाने के लिये उत्तरदायी अध्यक्ष को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएं जिससे वह सरकार की नीतियों को लागू कर सकें । इसके बिना नीतियों को लागू नहीं किया

जा सकता । इसलिये, सेवा की शर्तें कुछ भी हों, पर अध्यक्ष को अधिक अधिकार दिए जांए जिससे वह सरकार की नीतियों को लागू कर सकें ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : गरीब लोगों तथा सीमांत ग्रामीण जनता और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों की सहायता करने के श्रेष्ठ उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद हमें पता चला है कि अधिकांश रूप से प्रसिद्ध पूंजीपति ही इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं ।

अब हम 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं जो समूचे देश के समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ और कारगर कार्यक्रम है । लेकिन विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहायता नहीं दे रहे हैं ।

सभी वित्तीय संस्थानों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तथा इन सभी संस्थानों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और निजी बैंकों के मालिक इनमें हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन संस्थाओं में जन समितियां बनाई जायें जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हों । ये समितियां विभिन्न स्तरों पर होनी चाहिएं तथा इन समितियों को उच्च संविधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं जिससे वे उचित आवेदनों पर ऋण दिये जाने की सिफारिश कर सकें ।

बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हुई है । ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम वर्ग को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है क्योंकि वे बैंकों के अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे पाते हैं । यह एक अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री महोदय के बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के कदम उठाये हैं । बंधुआ मजदूरों को भी ऋण दिये जाने चाहिएं ।

ऋण के बारे प्रतिभूति के रूप में कुछ कड़ी और कठोर शर्तें रखी गई हैं । इन शर्तों को उदार बनाया जाये तथा प्रतिभूति सम्बन्धी शर्त को कुछ सीमा तक और उदार किया जाये । मध्य वर्ग, सीमांत किसानों और निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए सरकार ग्रामीण बैंको की शर्तों को उदार बनाने के सम्बन्ध में सरकार उनका मार्ग दर्शन करे ।

इस बात की सराहना की जानी चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले जा रहे हैं । सरकार को सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त निदेश देने चाहिएं कि जब कभी बैंक खोले जायें तो सम्बन्धित संसद सदस्य को अवगत कराया जाये । बैंकों के कार्यकरण तथा नए बैंकों की स्थापना के बारे में सम्बन्धित संसद सदस्यों को अवगत कराया जाये ।

मैं लोक हित में यह बात कह रहा हूं कि इन बैंकों के सफल कार्यकरण के लिये संसद सदस्यों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिये और सम्बन्धित सदस्यों को बैंकों के कार्यकरण तथा नये बैंकों के खोले जाने के बारे में सूचित किया जाना चाहिये ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा बैंकों के सफल कार्यकरण के हित में मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बातों पर ध्यान दें ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : लोक वित्तीय संस्थानों पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन के कार्यकरण पर हमारी समूची मुद्रा सम्बन्धी पद्धति और नीति निर्भर है ।

वर्तमान विधेयक में यद्यपि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक की सेवा शर्तों में परिवर्तन करना उचित समझा गया है तथापि ऐसा लगता है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को इस सर्वोत्कृष्ट वर्ग से अलग रखा गया है । इन बैंकों के अभिरक्षकों पर भी, जो हमारी मुद्रा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करने में प्रभावशाली कार्य करते हैं, कुछ अनुशासनात्मक प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये और उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाना चाहिये ताकि समूचे देश को उन के अनुभव का लाभ मिल सके । ऐसा करना उन के हित में होगा तथा समूचे देश के हित में होगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि यह विधेयक बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्थाओं के कुछ प्रमुख अधिकारियों के निकालने के लिये लाया गया है । इस विधेयक का अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस का उद्देश्य ठीक इस के विपरीत है ।

जहां तक औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है, वर्तमान अधिनियम में उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार विकास बैंक से परामर्श करके अध्यक्ष को किसी भी समय उस के पद से हटा सकती है । अब संशोधन में न्यूनाधिक रूप में ऐसा ही उपबन्ध किया गया है । सिवाय इस के इस समय यह व्यवस्था की जा रही है कि लिखित रूप में तीन महीने के नोटिस की जरूरत होगी । मैं समझता हूं कि सेवा की शर्तों में यह एक बड़ा सुधार है ।

देश का समूचा आधारभूत वित्तीय ढांचा वित्त मंत्रालय के अधीन है । सारे राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों की शाखायें वित्त मंत्रालय के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं । इसलिये वित्त मंत्रालय को इन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिये और उसे यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, वह उसे हटा सकेगा । वित्त मंत्री चाहे तकनीकी दृष्टि से वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ न हो, परन्तु वह जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिये उसे नीति निर्माण आदि के पूरे अधिकार होने चाहियें ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, Sir, this bill seeks to amend the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the State Bank of Indias Act, 1955, the Industrial Development Bank of India Act, 1964 and the Regional Rural Bank Act, 1976. The Bill seeks to alter the service conditions of the Chairman, Vice Chairman or the Managing Director of these Central Public sector financial institutions.

Certain provisions has also been incorporated in the Bill regarding the procedure of their removal from services. It is good that provisions are being made thrcugh this Bill for the top executives of these financial institutions. But what about the subordinate staff working under them? The services of the low paid employees are being arbitrarily terminated by the high officials taking advantage of the emergency powers. So making provisions for the top executives only will not be sufficient. There should be provisions for the security of services of the low paid employees also as they are quite insecure at present and their services are being terminated arbitrarily by the high official. I, Therefore, suggest that a comprehensive Bill should be brought forth reorganising entire banking system and laying down clearly the service conditions of these employees.

Secondly, we have to see as to what extent the objectives of the natinalisation of banks have been achieved and I can safely say that the objectives of the nationalisation of banks have not been achieved. They are not serving the poor or the weaker sections of society. It has been found that bank agents take bribe for sanctioning loans. At least in rural banks, arrangements should be

made to provide credit to small farmers on easy terms and without so many formalities. Steps should be taken to avoid delay in the disbursement of loans. It is a good idea that Government should have full control over the banks but at the same time steps have got to be taken to see that the declared financial policies of the Government are honestly implemented.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha Then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न पश्चात् भोजन के बाद 2 बज कर 3 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

Shri K. M. Madhukar : I was saying that there is widespread corruption in the bank officials. I am giving you an instance of the Patna Branch of the Reserve Bank of India. It is understood that in the Patna Branch of the Reserve Bank of India soiled currency notes are burnt and no record is maintained. This system should be stopped and a policy for the entire country should be evolved to see that such soiled notes are not burnt down.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है । जैसे कि इन वित्तीय संस्थानों के प्रबन्ध निदेशकों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे और कब हो तथा उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं । इसके अतिरिक्त इसमें उनके सेवा से हटाने का भी उपबन्ध है । जहां तक अध्यक्ष, प्रबन्ध निरीक्षक तथा उच्चाधिकारियों की नियुक्ति को युक्तियुक्त बनाने का सम्बन्ध है वहां तक इस विधेयक का स्वागत है, क्योंकि ये लोग ऋण देने पर नियन्त्रण रखेंगे और इसका कार्य भार भी इन्हीं लोगों पर होगा । किन्तु कठिनाई यह है कि हम ऋणों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों की अत्यधिक आवश्यकता है । सरकार को प्रत्येक ऋणदात्री संस्था के कार्यकरण की जांच का अधिकार होना चाहिए और इन ऋणदात्री संस्थाओं के कार्यकरण के आधार पर ही केन्द्रीय सरकार जैसा चाहे निर्णय ले सकती है ।

कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि गावो में 20-सूत्री कार्यक्रम उस ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जिस ढंग से होना चाहिए था । हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेषतया कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना कि दिया जाना चाहिए था । ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने के लिए 10 मील की निर्धारित सीमा से गांवों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । दस मील की सीमा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है । इसे समाप्त किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त गांवों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण की लागत इतनी हो जाती है कि जिसे ग्रामीण सहन नहीं कर सकते ।

सहकारी ऋण प्रयासों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कृषि का जोरदार कार्यक्रम सार्थक सिद्ध हो सकें । यदि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गोबर गैस संयत्रों पम्पों, विद्युतीकरण, नलकूपों तथा कम लागत की पवन चक्कियों को स्थान देना चाहते हैं तो हमें आवश्यक ऋण की व्यवस्था करनी होगी । अतः इस सम्बन्ध में एक विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना चाहिए ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Mr. Deputy Speaker, this Bill deserves all support. It has not been mentioned in it as to on whose complaints the top executives would be removed. It would have been better if it was added in the Bill that an investigation would be made after receiving complaints and services would be terminated after due enquiry.

Banks should advance loans to agriculturists on a rate of interest that is lower than that charged from big industrialists. Then, the condition of taking security by rural banks should be waived in case of farmers. Sufficient facilities of supply of inputs to farmers should be provided to those whose lands have been mortgaged.

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, this legislation is a very timely measure. The present Bill seeks powers for removal of certain top officials of public sector finiancial institutions and lays down a uniform procedure in regard to the terms and conditions of their services. It is a matter of concern that the Banks do not implement the declared policies of the Government with the result that adequate funds are not made available to farmers to meet their needs for carrying on agriculture production. If these Banks are to fulfil the objectives for which they are created and are to make the banking movement a success. Then they should be directed to approach the farmers directly and to help them tackle their problems. It can be suggested here that a fund be set up from which a farmer can draw a loan ranging between Rs. 2,000 to Rs. 5,000 in a lean season.

Nepotism is widely rampant in the matter of recruitment to the services in banks. Some sort of a body should be set up to handle the recruitment of personnel in banks.

The currency notes that are given to farmers in my constituency against produced purchased from them are soiled and the farmers are forced to exchange them with better curreycy notes at a discount of 2 per cent. The Minister should devote some attention to this matter.

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : पता नहीं कि इस तरह का विधेयक पेश करने की क्या आवश्यकता थी जिसके अन्तर्गत सरकार वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों को सेवा से हटाने की विधायी शक्ति प्राप्त करना चाहती है। किन्तु विधायी शक्तियों के अतिरिक्त इस विधेयक में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो, चाहे वे वित्तीय संस्थाएं हो या उत्पादन एकक, को चलाने के लिए एक बहुत ही संगत नीति सम्बन्धी मामला उठाया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता होगा कि उसे किसी भी समय अकारण नौकरी से हटा दिया जाएगा तो वह इस तरह का उच्च पद स्वीकार नहीं करेगा। अत: समूचे मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए।

उच्च अधिकारियों का रोजगार संविदागत बनाया जाना चाहिए और उनका संविदा कार्य-प्रधान होना चाहिए। लोक उद्यम ब्यूरो इन उच्च अधिकारी पदों के लिए कार्य निर्धारित कर सकता है। यदि वे सोचें कि वे उन कार्यों को कार्यान्वित कर सकते हैं तो वे उस पद को स्वीकार कर सकते हैं अन्यथा वे इन्कार कर देंगे। इन अधिकारियों के लिए कार्य निर्धारित करने हेतु एक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए और वह इन कार्यों के आधार पर उनसे समझौता कर लें। साथ ही नियमित ढंग से उनके कार्य की जांच की जाती रहे। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक इस शक्ति के दुरुपयोग करने की आशंका बनी रहेगी।

विधेयक में एक उपबन्ध यह है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज की कम दर पर मशीनरी आदि के लिए सशर्त ऋण देना चाहिए जिसका पुनर्वित्त पोषण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। किन्तु प्राय: ये राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक ब्याज की उस कम दर पर सशर्त ऋण नहीं देते क्योंकि वे भारतीय औद्योगिक बैंकों से पुनर्वित्त पोषण के लिए तैयार नहीं हैं। अत: वाणिज्यिक

बैंकों के लिए सांविधिक रूप से यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे ब्याज की कम दर पर सशर्त ऋण दें और उसे वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वापस ले लें। यह केवल पिछड़े क्षेत्रों के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिए भी यह आवश्यक है।

राष्ट्रीयकृत बैंक सुरक्षित बाजार के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की परवाह नहीं करते क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना खाता एक बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में नहीं खोल सकता। वहां भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध भी है। अतः किसी को भी अपना खाता एक बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि बैंकों में स्पर्धा की भावना पैदा हो।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकता दक्षिण) : यदि हम स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य लोक वित्तीय संस्थाओं में निदेशक मंडल के गठन पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि बड़े औद्योगिक गृहों तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों के लोगों को निदेशक मंडल में मनोनीत व्यक्तियों के रूप में लिया गया है। यह उचित समय है कि लोक वित्तीय संस्थाओं में प्रबन्ध निदेशक, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आदि के पदों के लिए नियुक्त किए जाने वाले कार्मिक किसी विशेष क्षेत्र के लिए जाएं जहां कि उन्हें कुछ प्रशिक्षण और कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए जाएं।

विधेयक में सम्मिलित की गई वित्तीय संस्थाओं की सूची में से आई० आर० सी० आई० को अलग कर दिया गया है। यह भी एक लोक वित्तीय संस्था है। अन्य संस्थाओं के साथ इसे भी मिलाया जाना चाहिए।

गरीब लोगों, कमजोर वर्गों तथा शिक्षित लोगों की सहायता के लिए बैंकों द्वारा तैयार की गई योजनाएं व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समय-समय पर जो विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं उनकी विस्तृत बातें विधायकों, संसद् सदस्यों आदि जैसे जनप्रतिनिधियों को मासिक और वार्षिक तौर पर उपलब्ध की जानी चाहिएं ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उनसे अवगत करा सकें।

औद्योगिक ऋण-निवेश-निगम ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में अपने ऋण निवेश के 63 प्रतिशत का निवेश किया है और पूर्वी भाग में उन्होंने केवल 15 प्रतिशत का निवेश किया है। पूर्वी भारत के आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Deputy speaker, I rise to support this bill.

I would like the Government to enlighten the House as to what precautions have been taken against an executive, who embezzles public money and wants to get away with it. He should not be allowed to resign and get away. Some provision should be made in the Bill so that such corrupt executives, however highly placed they may be, could be brought to book.

The nationalisation of banks has raised high hopes among our people especially among the weaker section. But their hopes are not fulfilled. Even now the credit demand of the rural poor, which has increased because of allotment of surplus lands to them is hardly met. Besides the attitude of the bank officials is not Cooperative and helpful. Government should ensure that persons belonging to the weaker section of our society get credit easily and speedily.

The imposition of territorial jurisdiction on the rural banks creates hardship to the people. This limit should be extended or removed.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagpur) : It is heartening to note that Government intends to extend banking facilities to every home in the country.

Government should keep a close watch on the functioning of private banks and they should also be made to contribute to the economic development of the country.

The Bill has been brought with a specific purpose that only committed persons, persons who are sincere in implementing the policies of the Government should man these institutions and persons who do not subscribe to the policies and principles of the Government may be asked to quit.

The people's savings have to be utilized for the development of the country. It is a nice idea that only those persons should man the banking institutions who are committed to the Government policies. But at the same time we should not over look the fact that certain able persons may not like to join these institutions because of the uncertainty of the tenure of their service.

It is not clear whether the services of rural banks will be confined only to four categories of persons *viz.* small farmers, mariginal farmers, landless labourers and artisans or it will be availalable to other categories also. This should be made clear because certain complications have arisen.

Prof. S.L. Saksena (Maharaj Ganj) : I regret to point out that many banks do not care for the interests of their clients. They behave in an indifferent manner even with their old and trusted clients. Their attitude is not helpful.

Similar is the case of other Financial institutions. Even the now the sahukars or money lenders have not loosoened their stranglehold on the poor, they threaten the persons with dire consequences who refused to pay them money. The Government should seriously look into the matter. The Government have provided debt relief but it is being nullified in the rural areas.

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि हमने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस विधेयक के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था एक विशेष योजना के अन्तर्गत की हुई है, जिसका पहले ही संसद् ने अनुमोदन कर दिया है। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है, यह एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं है। यह एक लिमिटेड कम्पनी है जिसके शेयर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के बीच बांटे जाते हैं। इसीलिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सरकार की सहमति से की जाती है और इसके लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि आई० सी० आई० सी० आई० जो कि रिजर्व बैंक की एक शाखा है, में हम कुछ परिवर्तन करना चाहें तो वह केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही किये जा सकते हैं।

यदि विभाग के पास बैंक तथा वित्तीय निगमों के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और सेवाएं समाप्त करने का अधिकार न हो तो वित्तीय संस्थानों से अवांछनीय तत्वों का हटाना बड़ा कठिन हो जायेगा। सरकार एक विशिष्ट अधिकारी की कार्य अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। यदि सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक की सेवाएं समाप्त करना आवश्यक समझे तो उसके लिए तीन महीने का नोटिस अथवा उसके बदले का वेतन देना पर्याप्त होगा। सेवाएं समाप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि उसको किन्हीं विशेष आरोपों के कारण पद से हटाया गया है। यदि कोई विशेष आरोप हैं तो उसे एक नियमित कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा और निर्धारित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने में रिजर्व बैंक से परामर्श करने का प्रश्न है, इस बारे में सरकार पर कोई रोक नहीं है। जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो हम रिजर्व

बैंक से परामर्श करते हैं और जब किसी को सेवामुक्त किया जाता है तब भी रिजर्व बैंक से सलाह लेते हैं। लेकिन हमें शीघ्र ही कोई निर्णय लेना होता है। अतः रिजर्व बैंक से परामर्श लेने को हम अनिवार्य नहीं बनाना चाहते।

यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का विशिष्ट आरोप है तो उस व्यक्ति को हम केवल 3 महीने का नोटिस देकर ही नहीं जाने देंगे। बाकायदा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उसे दंड दिया जायेगा।

इस विधेयक का उद्देश्य एक प्रकार की एकरूपता लाना है। हम सभी वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एकरूपता लाना चाहते हैं। इसीलिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि बैंककारी संस्थानों का कार्यकरण जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं है। बैंक को उन बाधाओं और सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है जिनसे हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था गुजर रही है। बैंक के पास असीमित संसाधन नहीं हैं। अतः हो सकता है कि प्राथमिकताओं के संबंध में भी कुछ अन्य क्षेत्रों को कुछ हानि उठानी पड़े। पर मुझे आशा है कि निकट भविष्य में स्थिति सुधर जायेगी।

जहां तक ग्रामीण ऋण का संबंध है, समस्या संसाधनों की उपलब्धता की नहीं है। प्रश्न केवल संगठन का है। जब तक हम संगठन नहीं बनाते, सदस्यता को व्यापक बनाकर तथा सहकारी ऋण समितियों में एक पूर्णकालिक सचिव नियुक्त करके सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ नहीं बनाते तब तक उन क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं को खोलना संभव नहीं। इसलिए सरकार सहकारी ऋण ढांचों तथा कृषक सेवा समितियों के निर्माण पर तथा इन्हें वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ जोड़ने पर बल दे रही है। सरकार सहकारी क्षेत्र के विद्यमान बैंकों के समूचे ढांचे तथा संगठनात्मक ढांचे की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति करेगी।

जहां तक शाखा कार्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का संबंध है केवल क्षेत्राधिकार के विस्तार से हमें कुछ प्राप्त न होगा। हम अन्य अभिकरणों जैसे सहकारी ऋण समितियों, कृषक सेवा समितियों इत्यादि द्वारा इसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तथापि सरकार को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने में कोई संकोच नहीं है। कुछ मामलों में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। कुछ दिनों तक ऐसी समस्याएं सामने आयेंगी पर हम धीरे-धीरे सभी का समाधान कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम, 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motiom was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक अपना संशोधन पेश करने के लिए यहां नहीं है । प्रश्न यह है :

"खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

Shri Ramavatar Shastri : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं : I had put the most relevant question about the appointment of top executives. What is the criteria for their appointment ? What qualifications have been laid down in this regard ? I have moved an amendments. I want that only those officers who are committed to the 20 point programme should be retained in the banking institutions. It is necessary that only persons with banking experience should be appointed. But this is not being followed.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस विधेयक के द्वारा हमें गलत अधिकारियों को सेवा से निकालने के अधिकार मिल जायेंगे । जहां तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और आई० डी० बी० आई० के चेयरमैन की नियुक्ति का प्रश्न है, हमारे विचार से वे दोनों बहुत योग्य व्यक्ति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 4 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, 5, 6 और खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, 5, 6, और खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4, 5, 6 and Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : There is a talk about the rural Banks. In my district the rural bank which is a branch of Syndicate Bank is charging 16 percent interest. The rate of interest is too high. These rural banks have been set up for giving loans to the poor farmers landless people and backward sections of society but they are charging high rate of interest on loans. Is there any justification in it ? This should be looked into. These rural banks are mostly serving big people.

The banks operating in rural banks should be asked to give a fixed percentage of their total credit to weaker sections only. Unless this is done the purpose of rural banks will not be achieved.

Certain shopkeepers have been given licenses for selling pumping sets. The farmers are pressurised to buy pumping sets from those very shopkeepers who charge much more price from the farmers. The farmers are not allowed to purchase pumping sets from any dealer. In this way the farmers are being exploited by the pumping set dealers.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस बात में गलतफहमी है कि सिंडीकेट बैंक चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देता है जब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 16 प्रतिशत ब्याज लेते हैं । मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जिसे देश के 265 जिलों की भांति भिन्न भिन्न दरों पर ऋण देने की योजना लागू है । अतः सभी बैंक विभिन्न दर योजना के अन्तर्गत कार्य करेंगे । उन्हें उन्हीं दरों पर ऋण देना होता है जो दरें सहकारी संस्थाएं लेती हैं ।

दूसरी बात का सम्बन्ध छोटे तथा सीमान्त किसानों से है । अतः क्षेत्रीय बैंकों में छोटे लोगों के लिए ऋण का कोटा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्र:शुल्क आयोग (निरसन) विधेयक

TARIFF COMMISSION (REPEAL) BILL.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्र:शुल्क आयोग अधिनियम, 1951 का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य प्र:शुल्क आयोग अधिनियम 1951 का निरसन करना तथा तदनुरूप जनवरी, 1952 में स्थापित किए गए प्र:शुल्क आयोग को समाप्त करना है।

जनवरी, 1952 में प्रशुल्क आयोग की स्थायी सांविधिक आयोग के रूप मैं स्थापना की गई थी। इससे स्वदेशी उद्योगों को दिए गए संरक्षण के सम्बन्ध में जांच करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था लेकिन स्वदेशी उद्योगों को "संक्षिणात्मक शुल्कों के माध्यम से दिए जाने वाले संरक्षण की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है क्योंकि इन वर्षों के दौरान सरकार ने भुगतान संकलन की दृष्टि से आयात पर नियंत्रण लगा दिया है तथा देश में उद्योगो के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर अन्य भी उपाय किए हैं अत: इन उद्योगों को स्वयंमेव संरक्षण मिल रहा है।

आयोग का दूसरा मुख्य कार्य विशिष्ट पदार्थों चाहे उनको संरक्षण दिया हो अथवा नहीं उनके मूल्य निर्धारण के संबंध में जांच करना था। यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1971 से आयोग को प्रति वर्ष केवल 3 अथवा 4 मामलों की जांच करनी पड़ रही है और 1975 के बाद कोई नया मामला उनके सामने पेश नहीं किया गया। केवल चीनी और पटसन की बोरियों के दो मामले अभी आयोग के पास विचाराधीन पड़े हैं अत: यह पता चलता है कि प्रशुल्क आयोग को दिए जाने वाले मूल्य निर्धारणों की संख्या भी बहुत कम है।

अत: जिस प्रयोजन हेतु प्रशुल्क आयोग की मूलत: स्थापना की गई थी आज परिवर्तित परिस्थितियों में उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। भारतीय उद्योगों को पर्याप्त प्रभावी संरक्षण उपलब्ध है अत: प्रशुल्क आयोग द्वारा उद्योगो को दिए जाने वाले संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

आयोग की समाप्ति के बाद दो उद्योगों डाइंटरमीडिएट्स और रेशम उद्योग पर क्रमश: 31–12–1977 और 31–12–1979 तक सुरक्षात्मक दरों से शुल्क लगाया जाएगा अर्थात् इन उद्योगों को उक्त तिथियो तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रशुल्क आयोग अधिनियम का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : यह प्रसन्नता की बात है कि देश के चारों ओर से प्र:शुल्क आयोग को समाप्त करने की इस चिरप्रतीक्षित मांग को वाणिज्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्र:शुल्क आयोग की उपयोगिता समाप्त हो गई है। इतनी आलोचना और लोगों तथा सदन द्वारा इतने अरसे से मांग करने के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने यह मांग स्वीकार कर ली है।

देश में विभिन्न उद्योग एकक विभिन्न मंत्रालयो के अन्तर्गत आते हैं। इन विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं, गतिविधियों और कार्यकरण की देखभाल करने के लिए भारत में कोई समन्वयकारी एजेंसी नहीं है। सरकार को एक ऐसी एजेंसी की स्थापना के लिए कदम उठाने चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा जो कार्य रह गए हैं उन्हें औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो पूरा करेगा लेकिन यह ब्यूरो अपनी इच्छा से काम नहीं करता और न ही स्वत: किसी औद्योगिक एकक द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थों के लागत और मूल्य निर्धारित करता है।

प्रशुल्क आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य किसी भी मामले के बारे में अपेक्षित जानकारी को जैसे कि उद्योग को किस तरह संरक्षण दिया जाए सीमा शुल्क तथा अन्य शुल्कों में किस तरह घट बढ़ की जाए और अधिक आयात या अन्य कारणों से बाजार में वस्तुओं का भारी स्टाक जमा होने के संबंध में कार्यवाही करने की जांच करना और उस पर अपना प्रतिवेदन देना है। इसका अन्य कार्य यह देखना था कि कोई उद्योग प्रशुल्क आयोग द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण का अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा। मंत्री महोदय हमें बताएं कि इस संबंध में प्रशुल्क आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों, जिन्हें कि प्रशुल्क आयोग पूरा नहीं कर सका, को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी।

देश को उद्योगो के अव्यवस्थित विकास के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश में वस्तुओं के लिए मंडी नहीं है। प्रत्येक औद्योगिक पदार्थ विदेशी मंडियों की खोज में है ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में लागत और मूल्य का सुविचारित ढंग से निर्णय नहीं किया जाता ताकि घरेलू मंडी इन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

कृषि मूल्य आयोग कच्चे माल के मूल्यों का निर्धारण केवल बड़े उद्योगो को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कर रहा है। लाखों उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों उपरांत आज हम इस स्थिति में पहुंच गए है कि ग्रामीण क्षेत्रो तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों की क्रय क्षमता समाप्त हो गई है। इसका मुख्य कारण मूल्यों तथा औद्योगिक लागतों का गलत निर्धारण है। केवल बड़े उद्योगो को ही सुविधाएं दी जा रही है।

अत: इस कार्य के लिए एक विशेष समन्वयकारी ऐजेन्सी होनी चाहिए जो प्रत्येक उद्योग के संबंध में मूल्य और लागत निर्धारित करे। समिति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम न हो तथा इसके साथ साथ उत्पाद कभी अपनी आजीविका कमाने में सफल हो सके। उचित मूल्य प्राप्ति पर ही उद्योग का उचित विकास हो पाना संभव होगा।

विकासशील देशों में से भारत में श्रम सबसे सस्ता है? जब तक हम श्रमिकों की समस्याओं और उद्योगों की समस्याओं के प्रति उचित रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक न तो उद्योगों में शांति बनी रहेगी और न ही उद्योगों के सुचारू विकास के लिए उचित वातावरण बनाया जा सकेगा। जब तक इन तत्वों का पूरी तरह से समन्वय नहीं किया जाता

तब तक केवल प्र:शुल्क आयोग की समाप्ति से देश में औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने में सहायता नहीं मिलेंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्री महोदय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है। क्या उनके मंत्रालय द्वारा मध्यम, छोटे तथा कुटीर उद्योगों को उनके लागत व्यय मूल्यो तथा विपणन के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या ठोस उपाय किए जाएंगे।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : The Bill is welcome. The Minister deserves congratulations for bringing forward this Bill.

The Tariff Commission has not been performing its duty properly. The main function of the Commission was to fix prices after proper inquiry. The officers of the Commission work under the influence of the big buisnessmen and fixed prices of goods very high. The Tariff Commission is responsible for increasing inflation in the country.

The officers of the Commission who have acted in collusion with buisnessmen and companies have amassed wealth. An inquiry should be held into the functioning of the Commission and strict action should be taken against the corrupt officers.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Bill is welcome . It is a step in the right direction.

The Tariff Commission has always helped the big businessmen. It is a useless body. It is good that it is being abolished.

The Tariff Commission has recommended a very low price for sugar cane and has thus advers ely affected the interests of sugar cane growers. But while fixing the price of sugar they farvourred mill owners.

The Minister should tell the House about the agencies or bodies which should hold proper inquiries and submit such reports as will ensure a balanced view of differnt factors for proper development of industries in the country. Small scale industries and medium industries which need protection have to be given necessary protection. We should create such agencies as will encourage small scale and medium industrieas and will not favour big business.

श्री बाई० एस० महाजन (बुलडाना) : गत 50 वर्षों से देश में उद्योगों के विकास में प्र:शुल्क आयोग तथा उसके पूववर्ती निकायों ने महत्वपूर्ण सेवा की है।

किन्तु 1955 या 1957 के बाद यह आयोग पूर्णतया अनुपयोगी हो गया क्योकि सुनियोजित आर्थिक विकास अपनाने, हमारी आयात प्रतिस्थापन नीति और निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति तथा परिमाणात्मक प्रतिबन्धों और मुद्रा नियंत्रण के फ़लस्वरूप देश में उद्योगों को प्राप्त पूर्ण संरक्षण तथा शक्तियों से समूचे प्रकार का संरक्षण पूर्णतया अप्रयुक्त हो गया। प्रशासनिक आयोग ने भी यह सिफ़ारिश की है कि इस आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इस आयोग के दो मुख्य कार्यों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग आरम्भ करने के फ़लस्वरूप मूल्य निर्धारण या मूल्यों पर नियंत्रण करने का कार्य पूर्णतया समाप्त हो गया है।

दूसरे, औद्योगिक लागतों तथा मूल्य ब्यूरो के विकास के फ़लस्वरूप अब सरकार प्रशुल्क आयोग की बजाय ब्यूरो पर अधिक निर्भर है जिसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क आयोग के पास कोई कार्य नहीं रहा।

एक कठिनाई है प्र:शुल्क आयोग अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकता है और इसका दर्जा भी समुचित था जबकि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो आर्थिक कार्य विभाग

में एक अधीनस्थ निकाय है। किन्तु क्योंकि सरकार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो पर अधिकाधिक रूप से निर्भर रही है अतः प्रशुल्क आयोग पूर्णतया अनुपयोगी बन गया है।

हमारे देश में मूल्य स्तर अन्ततोगत्वा सरकार की आर्थिक नीति द्वारा निर्धारित होता है और प्रशुल्क आयोग या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो जैसे किसी भी निकाय को इस सम्बन्ध में आंकड़े देने, उनका विश्लेषण करने तथा सरकार को सलाह देने के अतिरिक्त और कुछ करने का अधिकार नहीं है। अतः स्थिति में आमूल परिवर्तन होने के फ़लस्वरूप प्रशुल्क आयोग अनावश्य हो गया है। समझ में नहीं आता कि सरकार को यह जानने में इतने वर्ष क्यों लगे। अच्छी बात है कि सरकार ने आखिर यह विधेयक पेश कर ही दिया।

सरंक्षण की समस्या वहां पैदा होती है जहां हमारे उद्योग बढ रहे होते हैं और हमें अन्य देशों के विकसित उद्योगों से स्पर्धा करनी पड़ती है। हम पूर्णतया भिन्न स्थिति में है। हमारा भुगतान संतुलन बहुत ही निराशजनक है क्योंकि आयातों की माग अपरवर्तनीय रही है। हमारी समस्या निर्यात को बढाने की है। यह सुनिश्चित करना है कि हमारे निर्यातकर्ता उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति प्राप्त करें। यह समस्या गत कुछ दशकों की समस्या से सर्वथा भिन्न है। समस्या यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कैसी नीति अपनायी जाये जिससे निर्यातकर्ता उद्योग विश्व बाजार में स्पर्धा शक्ति प्राप्त कर सकें।

मंत्री जी को इस समस्या का हल निकालना चाहिए।

श्री घामनकर (भिवंडी) : यह अच्छी बात है कि प्रशुल्क आयोग को समाप्त किया जा रहा है किन्तु इसका स्थान खाली नहीं रखा जा सकता। प्रशुल्क आयोग का स्थान किसी अन्य अभिकरण को देना होगा।

नई देशी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए जो अब आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान ले रही है, शीघ्र ही सरकार को एक नए अभिकरण की स्थापना करनी होगी। जिन नई वस्तुओं का निर्माण पूर्णतया देशी ढ़ंग से हो रहा है उनके मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत, विदेशी स्पर्धा आदि को ध्यान में रखना होगा। देशी ढ़ंग से निर्मित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के लागत मूल्य निर्धारित करने के लिए तत्काल एक आयोग गठित करना होगा। सरकार को शीघ्र ही एक आयोग गठित करना चाहिए। इसके लिए शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्य में उपभोकताओं के हित में विलम्ब न हो।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्यय) : प्रशुल्क आयोग को इसलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। यह कहना सही नहीं हो सकता कि यह एक बेकार और अनुगयोपी निकाय था। प्रशुल्क आयोग तथा प्रशुल्क बोर्ड द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण ही गत 50 वर्षों में हमारे कई उद्योग विशेषकर पटसन तथा वस्त्र उद्योग पनपे है तथा समृद्ध हुए है।

एक संगत प्रश्न यह पूछा गया है कि प्रशुल्क आयोग को समाप्त करने के पश्चात् क्या स्थिति होगी। अब इस निकाय को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि उद्योगो, वाणिज्य,

निर्यात तथा आयात सम्बन्धी कार्य अधिक बढ जाने से कई अन्य निकायों की स्थापना आवश्यक हो गई थी। अब हमारा कार्य विभिन्न प्रकार का हो गया है इसलिए अब उन पर ध्यान वशेषीकृत निकायों तथा संगठनों द्वारा दिया जाना चाहिए। इस कार्य की देखभाल आंशिक रूप से वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात और आयात के मुख्य नियंत्रक तथा आयात नियंत्रण द्वारा की जायेगी। हम अपनी आयात नियंत्रण नीति इस तरह से तैयार की ताकि पात्र उद्योगों को संरक्षण की सुविधा मिल सके इसके अतिरिक्त अन्य संगठन भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा आंशिक तथा पूर्ण रूप से सामने आते है।

जहां तक कृषि उत्पादो के मूल्य निर्धारण का सम्बन्ध है कृषि मूल्य आयोग इस दिशा में कुछ कार्यवाही कर रहा है। एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग भी महत्व-पूर्ण कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए मूल्य नियंत्रण तथा राजस्व और बैंक-कारी विभाग भी काफ़ी काम कर रहा है।

पूछा गया है कि इस आयोग का उन्मुलन पहले ही क्यों नहीं किया गया। इस बारे में दो राय हैं। डा० बी० के० आर० वी० राव समिति ने इस पर विचार किया है और पिछले दशक के मध्य में सुझाव दिया था कि प्रशुल्क आयोग अभी भी कुछ उपयोगी है। किन्तु उसके पश्चात प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक समिति की स्थापना की जिसने इस मामले की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शायद हम इसे समाप्त कर दें। तब तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों की स्थापना हो गई। उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में तकनीकी विकास महानिदेशालय कुछ मशीन निर्माता एककों तथा टेक्नोलाजिकल एककों के हितों की देखभाल करता है। चूंकि अब ये संगठन बन चुके ह और अच्छा कार्य कर रहे हैं, अतः सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अब प्रशुल्क आयोग को समाप्त कर दिया जाये।

दूसरी आलोचनात्मक बात यह कही गई है कि प्रशुल्क आयोग ने केवल बड़े-बड़े व्यापारियों के हितों का ही ध्यान रखा है। यह बिलकुल भी सही नहीं है क्योंकि वर्षों से कम से कम 50 उद्योगों को संरक्षण मिलता रहा है। बड़े उद्योगों को ही नहीं अपितु लघु पैमाने के उद्योगों को भी संरक्षण मिलता रहा है। प्रशुल्क आयोग एक व्यावसायिक संगठन था, जिसमें विशेषज्ञ थे और जो कि वाणिज्य मंत्रालय ही नहीं अपितु अन्य मंत्रालयो द्वारा सौंपे गए मामलों की जांच करते थे। अतः यह सही नहीं है कि यह अंधाधुन्ध रूप से बड़े बड़े व्यापार गृहों की ओर झुका हुआ था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि टैरिफ आयोग (निरसन) अधिनियम 1951 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 4, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नामविधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारत मे महिलाओं का स्थान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE :REPORT OF THE COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN IN INDIA

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर, जो 18 फरवरी, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है"।

यद्यपि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के बाद एक वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी इस वर्ष हमारी कई उपलब्धियां रही हैं और भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए गये हैं।

यह प्रतिवेदन सरकार को 1 जनवरी, 1975 को प्रस्तुत किया गया। इसके तुरन्त बाद अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समारोह का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। मैक्सिको में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार ने एक शिष्ट मंडल वहां भेजा।

मैक्सिको में हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की सिफारिशें बाद में उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पूर्णतः स्वीकार कर ली और एक समयबद्ध कार्यक्रम स्वीकार करने का निर्णय किया । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्बन्ध में विश्व के विभिन्न भागों में हुए विभिन्न सम्मेलनों में जाने के लिए सरकार ने कई शिष्टमंडलों को सहायता की है ।

उसी वर्ष हमारे अपने देश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए भारतीय समिति के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किये गये । इनके फलस्वरूप हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । विशेष रूप से आम जनता में देश में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध जागरुकता लाई गई है ।

महासभा ने देख लिया होगा कि यह प्रतिवेदन एक व्यापक दस्तावेज है और महिलाओं के कल्याण विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। इसमें शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में परिवर्तनों की सिफारिश की गई है । अतः विभिन्न सिफारिशों की जांच के लिए सरकार ने तुरन्त के अन्तर्स-सचिवीय ग्रुप का गठन कर दिया ।

महिला सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने एक "कार्यवाही की रूप रेखा" स्वीकार की है जो कि महिलाओं की शिक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत महिलाओं की देखभाल, महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छा से किये जाने वाले प्रयासों को बढ़ाने और इन बातों को कार्यान्वित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने हेतु विभिन्न विधायी उपायों, प्राशसनिक उपायों का प्रस्ताव करेगी ।

इन सब कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मेरे मंत्रालय में सामाजिक कल्याण विभाग में एक समुचित एकक स्थापति किया गया है । यह एकक भी सुनिश्चित करेगा कि "भारत में महिलाओं का दर्जा" सम्बन्धी समिति द्वारा की गई विभिन्न महत्वपूर्ण सिफारिशों को यथासम्भव शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा ।

मंत्रालय के कहने पर व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था ने "कार्यवाही की एक राष्ट्रीय योजना" तैयार की है जिसमें कुछ बहुत ही ठोस उपाय सुझाये गये हैं। इस संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की यह राष्ट्रीय योजना सरकार के विचाराधीन भी है और हमें आशा है कि इन सब भिन्न-भिन्न ठोस उपायों पर हम-एक एक करके कार्यवाही आरम्भ कर देंगे । हम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करेंगे कि वे आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही करें ।

इस वाद-विवाद को मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूं क्योंकि इस सभा द्वारा सुझाया गया मार्गदर्शन मेरे मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के लिए भी अत्यधिक मूल्यवान होगा और मुझे आशा है कि यहां के वाद-विवाद से हमारे लोगों में जागरुकता पैदा होगी और वे मजबूत उपाय करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर, जो 18 फरवरी, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है" ।

*श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : बिना राजनैतिक इच्छा के महिलाओं के दर्जे में वांछनीय परिवर्तन नहीं किये जा सकते। इस बात में संदेह है कि सरकार वांछनीय परिवर्तन करने के लिए कभी भी गम्भीर रूप से प्रयास करेगी।

संविधान में महिलाओं को समान अधिकार तथा अवसर देने का प्रावधान है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को यह सुविधा नहीं दी गई है और हमारे देश की कुछ महिलाओं में से केवल मुट्ठी भर महिलाओं को यह सुविधा प्राप्त है। बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी समाज का महिलाओं के प्रति व्यवहार तथा दृष्टिकोण नहीं बदला, हिन्दु महिलाओं की क्या दशा है। यह सबको मालूम है। भारत में तलाक, बहुपति तथा पर्दा प्रणाली मुसलमान महिलाओं के अहित में है। यहां तक कि ईसाई लोगो में भी यह भावना है कि पत्नी किसी पति की सम्पत्ति है। अतः धर्म का ध्यान न रखते हुए पुरूषों की तुलना में महिलाओं की उपेक्षा की गई है और उनकी स्थिति खराब है।

दहेज की प्रथा की बोलबाला है। दहेज प्रथा समाप्त होने की बजाय और भी बढ़ रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में उत्तीर्ण व्यक्ति नकद और वस्तुओं के रूप में सहज ही एक लाख रुपए के दहेज की मांग कर सकता है। इसी वर्ग में डाक्टर, इंजीनियर भी आ जाते हैं। वे भी अपने विवाह का मूल्य लेना चाहेंगे। मध्यम वर्ग परिवारों की जवान लड़कियों को जबरदस्ती कार्य करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें अपना विवाह अधिक अच्छे ढंग से करने और दहेज की मांग पूरी करने के लिए कमाना पड़ता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कुछ लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ी है क्योंकि उनके मां बाप अधिक दहेज नहीं दे पाये हैं। इस कुप्रथाओं को दूर करने के लिए सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं।

विधवाओं की दशा भी दयनीय है। हमारे समाज में विधवा विवाह अभी भी अस्वीकार्य है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में वाराणसी की विधवाओं की यातनाओं का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया है। वृंदावन में भी विधवाओं की ऐसी ही दयनीय दशा है।

हमारे देश में वैश्यावृत्ति भी बढ़ रही है। आर्थिक जरूरतों के पूरा न होने के कारण महिलाओं को इस कार्य के लिए बाध्य किया जाता है। कलकत्ता पुलिस आयुक्त के अनुसार कलकत्ता में बड़ी संख्या में मध्य वर्गीय परिवार आय का कोई वैकल्पिक साधन न होने के कारण वैश्यावृत्ति से ही अपनी उदर पूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीण बंगाल की महिलाएं इस धंधे को अपनाने के लिए नगरो में आ रही हैं। जो सरकार वैश्यावृत्ति समाप्त नहीं कर सकती, उसे यह कहने का अधिकार नहीं कि वह देश में समाजवाद लाना चाहती है।

महिलाओं को हर क्षेत्र में सहभागी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में महिलाओं की दशा खराब हुई है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के योगदान में 1921 से निरंतर कमी होती रही है। कर्मचारियों की कुल संख्या

***बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Summarised translated version on English translation of the speech delivered in bengali.

की तुलना में महिला कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आ रही है । असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का अनियंत्रित शोषण हो रहा है और उनके रोजगार में निरन्तर कमी हो रही है ।

इसी तरह संगठित क्षेत्र में भी 1970-71 के दौरान कारखानों में महिला कर्मचारियों की संख्या में 20.37 प्रतिशत कमी हुई है । चाय बागानों में भी उनकी संख्या घटी है । शिक्षण, नर्सिंग, कार्यालय के कार्य में महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन जब कभी मितव्ययता अभियान चलाया जाता है तो इन महिला कर्मचारियों की भी छटनी की जाती है ।

प्राथमिक स्कूलों में लड़कों के लिए अलग परिपत्र प्रचलित किया जाता है और महिलाओं के लिए अलग से । इससे लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना पैदा हुई है । इसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

जनसंख्या वृद्धि और खाद्य संकट को दूर करने के लिए परिवार नियोजन कार्य को निवारक उपाय के रूप में माना जाता है । इस मामले पर महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए । यह एक सही और वास्तविक कार्य है ।

अब समय आ गया है कि नारी उत्थान के नेताओं को नारी के साथ किये जा रहे पक्षपात तथा भेदभाव को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न करना होगा । अब समय आ गया है जब कि भारत में नारी समाज को एक होकर महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिये भरसक प्रयास करना होगा, उसे पुरुष के शोषण से मुक्ति दिलानी होगी । नारी उत्थान के कार्य को गति प्रदान करने के लिये आन्दोलन तथा सत्याग्रह अनिवार्य है । अतः मेरा इस संबंध में सुझाव है कि वर्तमान आपात स्थिति को समाप्त किया जाये क्योंकि वह वैध कल्याण कार्यों के मार्ग में रुकावट बनी हुई है ।

मैं भारत की समस्त महिलाओं को एक होकर नारी कल्याण कार्य करने के लिये आमंत्रित करती हूं ।

Shrimati Ganga Devi (Mohon Lal Gani): The International Women's Year was celebrated last year and a committee to co-ordinate for women's welfare in our country has also been constituted at the Centre. At the time of the constitution of the Committee suggested that women from the weaker sections of the society should be represented on the Committee. But Government did not accept the suggestion with the result that women belonging to poorer sections, most of whom lived in villages and backward areas have not got any representation on the Central Committee and also in other similar committees.

Women who came from poorer sections are uneducated and do not know about the steps the Government is taking for their welfare. They have no information in regard to the schemes and other welfare activities initiated by the Government for women. Unless these women are properly informed it will be difficult for them to derive any benefit from those schemes. Therefor, more attention should be given to women belonging to rural areas and to those who belonged to the poorer sections of the society. It is the duty of the Government to improve their lot.

There is a soial welfare department of the Government. But most of its activities are confined to the cities alone. This department should extend its activities in the rural and backward areas also so that women belonging to those areas can also be benefited. In our vollages there are some families who are interested in the proper education of their girls but no adequate facilities are available for the same . This must be looked into .

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : हम ने पहले ही कहा है कि महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति द्वारा की गयी सीमित सिफ़ारिशों की विधि मंत्रालय द्वारा उपेक्षा की गयी है और विशेषकर अनिवार्य विवाह पंजीकरण जैसे मामलों की भी उपेक्षा की गयी है। इस प्रतिवेदन में कोई व्यवहारिक कार्यवाही नहीं की गयी है। लेकिन कुछ उपलब्धियों से तो इंकार नहीं किया जा सकता परन्तु हमारा मुख्य मुद्दा तो यह है कि क्या इन उपलब्धियों से हमारे देश में महिलाओं के दर्जे में कोई वास्तविक परिवर्तन आयेगा या आया है? जब तक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के साथ अधिक गतिशीलता से नहीं निपटाया जायेगा, महिलाओं की स्थिति के बारे में वास्तव में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

समान कार्य के लिये समान उपलब्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। खेतीहर मजदूरों के लिये मजदूरी निर्धारित की गयी है। लेकिन यह सर्वविदित है कि हमारे देश में खेतीहर मजदूर अधिकांश महिलायें हीं हैं और उन्हें समान वेतन नहीं मिलता है। पुरुष और महिला श्रमिकों के वेतन भिन्न है। विभिन्न राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया जाना चाहिये था कि पुरुष और महिला खेतीहर मजदूरों को एक ही वेतनमान में रखा जाये। अतः हमारे देश में महिलाओं के दर्जे का प्रश्न प्रवृति परिवर्तन के प्रश्न और प्रत्येक कार्य क्षेत्र और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर देने के प्रश्न से सम्बन्धित है।

चर्चा के दौरान मैक्सिको सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया है जहां हमारे देश से उच्च शिष्टमंडल भेजा गया था। मैक्सिकों में एक सकंल्प पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि इस कार्य के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। यह कहना उचित नहीं होगा कि हमने इससे संबद्ध नीतियां बनायी हैं। जब तक कार्य अवसर सीमित रहेगें और बेरोजगारी फ़ैली रहेगी, महिलाओं को रोजगार के अवसर व्यवहारिक रूप से और कम मिलते रहेगे। मंत्री महोदय को सदन को विश्वास में लेना चाहिये कि महिलाओं के लिये रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के समस्त प्रश्न के बारे में क्या करने जा रहे हैं।

रोजगार के बारे में महिला समिति ने बताया है कि कुल मिलाकर महिलाओं को कम वेतन का रोजगार दिया जाता है। इसलिये इस समिति ने सिफ़ारिश की है कि महिलाओं को रोजगार के दौरान कुछ प्रशिक्षण देने का उपबंध किया जाना चाहिये। उसने सिफ़ारिश की है कि महिलाओं के कार्यकाल के दौरान ही आन्तरिक प्रशिक्षण देने की विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या किया है? अतः शिक्षा मंत्रालय का सब से महत्वपूर्ण कार्य यह है कि शिक्षा और मनोवृत्ति के संपूर्ण प्रश्न पर विचार किया जाए। हम स्कूलों में ही लड़कों में यह भावना क्यों नहीं पैदा करते कि महिलायें उनके समान हैं और निर्णय लेने में उनका योगदान भी लिया जाना चाहिये। अतः हमारे लिए अपनी मनोवृत्ति बदलना अनिवार्य है और इसके लिये विभिन्न विधायी उपबंधों में भी परिवर्तन किया जाये जिससे महिलायें सभी प्रकार के रोजगार में प्रवेश कर सकें।

महिलाओं की स्थिति के बारे में समिति ने जो अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं, उनसे बड़ा दूरगामी और व्यापक प्रभाव होने वाला है। परन्तु यदि इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करना है तो मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में

महिला संस्थाओं और प्रगतिशील कार्यक्रमों पर उचित समय पर चर्चा हो जानी चाहिये। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि महिलाओं को उद्योगों में, कार्यालयों में, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में पुरुषों के साथ समान स्तर प्राप्त हो। तभी वास्तव में नारी कल्याण संभव हो सकेगा।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : राजनीति क्षेत्र को छोड़ कर सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में महिला आन्दोलन प्रबुद्ध नेतृत्व की ओर जा रहा है यह तथ्य विचारणीय हो सकता है। पर देश में विज्ञापनों के लिये महिलाओं के अश्लील चित्रों के अधिकाधिक प्रयोग को अवश्य बंद करना चाहिये। आज दंत मंजन या चेहरे की क्रीम की बिक्री के लिये महिलाओं के चेहरे का प्रयोग अनिवार्य है, इसे रोका जाये। संविधान के निर्माताओं की इच्छा यह न थी कि महिला वर्ग का इस प्रकार दुरुपयोग हो।

जब हम महिलाओं को आधुनिक बनाने की बात कहते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि हमारी महिलायें पश्चिमी सभ्यता के ढंग अपनायें या उनकी नकल करें। हम चाहते हैं कि भारतीय महिलायें भारतीय संस्कृति को सजोयें रखें और उसके साथ साथ उनमें ऐसे सभी गुण आ जायें जो वैज्ञानिक और आधुनिक हों तथा जो उन्हें अधिक कार्यकुशल बना सकें ताकि हम सही दिशा में प्रगति कर सकें। अभी हमारे पास ऐसा कार्यकारी दल नहीं है जो देश में महिला आन्दोलन की बागडोर सम्भाल सके।

सभापति महोदय : श्री नायक क्या आप 5 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर लेंगें।

श्री बी० वी० नायक : ऐसा करना तो मुझे कठिन लग रहा है। आप यदि अनुमति दे तो मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

Mr. Chairman : Now we adjourn and we will meet tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा बीरवार, 27 मई, 1976/6 ज्येष्ठ, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, May 27, 1976/ Jyaistha 6, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० न० दि० एल एस-3—1081—एल० एस०—1-9-76—200